

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE
CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1898

In the court of . कुमारी प्रतिष्ठा अवस्थी जे.एम.एफ.सी गोहद भिण्ड

प्रकरण क्रमांक 311/2017

Name and address of the complainant म०प्र० शासन द्वारा पुलिस थाना गोहद जिला प्रशासन
भिण्ड म०प्र०

name, parentage, caste and address of accused

1. रामचरण पुत्र घनश्याम जाटव उम्र 50 साल निवासी धार का पुरा गुरुद्वारा वाली गली गोहद चौराहा
जिला भिण्ड म.प्र.

The offence complained of, and date of its alleged commission

आप घटना दिनांक 15/11/2017 के 19:30 बजे से 19:45 बजे के मध्य हीरो होण्डा एजेन्सी के
सामने स्टेशन रोड गोहद चौराहा में अंक लिखे सट्टे की पर्चीयों के आधार पर रुपये पैसे की हारजीत का दाव
लगवाकर सट्टा खिलवा रहे थे तुम्हारा उक्त कृत्य 4 (क) सार्वजनिक द्यूत क्रीडा अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध
होकर इस न्यायालय के संज्ञान विचारण के तहत है तुम दोषी होने का अभिवाक करते हो या प्रतिरक्षा चाहते हो।

.....
The plea of the accused and his examination [if any]--
आरोपी का अभिवाक--

.....
The offence proved, if any in, case under clause (d), clause (e),
clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of
the property in respect of which the offence has been committed

// निर्णय //

(आज दिनांक 23/11/2017 को पारित किया गया)

1. आरोपी/आरोपीगण द्वारा सार्वजनिक द्यूत क्रीड़ा अधिनियम की धारा 4 (क) के अपराध की विशिष्टिया पढ़कर सुनायी एवं समझायी जाने पर उसने अपराध करना स्वेच्छा पूर्वक स्वीकार किया है । आरोपी की स्वेच्छा स्वीकृति पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है अतः उक्त स्वेच्छा स्वीकृति के आधार पर उसे धारा 4 (क) सार्वजनिक द्यूत क्रीड़ा अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्धि ठहराया जाता है ।
2. आरोपी/आरोपीगण द्वारा की गयी स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी/आरोपीगण को सार्वजनिक द्यूत क्रीड़ा अधिनियम की धारा 4 (क) में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 500/- रुपये के अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड में व्यक्तिम होने पर 05 दिवस के साधारण कारावास के दंड से दण्डित किया जाता है ।
3. आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते है ।
4. प्रकरण में जप्तशुदा 480/- रुपये राजसात किये जाते हैं तथा अन्य सामग्री सट्टे की पर्ची एवं पेन मूल्यहीन होने से नष्ट किये जावे ।

स्थान- गोहद

दिनांक- 23.11.2017

निर्णय आज दिनांकित एवं

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड